

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 153/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेव-न्यू एक्ट, 1958

उनवान

मगना पिता गोकल जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा

प्राथी

## बनाम

1. मगना पिता नन्दा ढोली निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
2. रामलाल पिता मगना आचार्य निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
3. भैरव पिता रतन आचार्य निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
4. भैरव पिता हीरा आचार्य निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा

विपक्षीय

उपरिधितो श्री राजेश वर्मा  
अधिवक्ता प्रार्थी

--: निर्णय ::--

दिनांक 05/01/2021

प्राथी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीयों के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - प्राथी के ग्राम कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 871 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 रकबा 0.32 है0 हेक्टेयर का प्राथी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय पड़ोसी हैं। प्राथी के विपक्षीयों के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो रहा है। अतः पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीयों को जरिये सम्मन तलव किया गया। विपक्षीयों की सूचना उपरिधित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्राथी सुनी गई। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कादीसहना संवत् 2076 से 2079 तक अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्राथी खातेदार दर्ज होकर अपना आराजीयात् पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कादीसहना में स्थित प्राथी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.32 है0 हेक्टेयर की पुस्तक पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हुआ तो कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढी ऑफ सौजन्य से किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कामेकर राशि 100/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्राथी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौके पक्षी पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दारिद्र्य कर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/01/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिज्ञा - तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मातृभूमि में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.